उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1255(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 01 जुलाई, 2013

अधिसूचना संख्या–1225/XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कंर इसकी 200 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1255/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक :01 ~~जून~~ जुलाई 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''**भारत का संविधान**'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 22 (2) का संशोधन:–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 22 (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
विकलांगता के अन्तर्गत 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. नियम 10 (1)(अ)(ख)(एक) का संशोधनः–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 (1)(अ)(ख)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
जो शिक्षिका 52 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों।	जो शिक्षिका 50 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

सचिव